# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**अपील संख्या – 1777/2012/चित्तौड़गढ़**

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वार्ड–तृतीय, चित्तौड़गढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पहाड़िया फिलिंग स्टेशन,
चित्तौडगढ़। ....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री अमर सिंह – सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक :१०/01/2014**

**निर्णय**

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 34/वेट/रेक्टिफिकेशन/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 26.03.2010 को पारित किया गया। जिसमें लूब्रीकेन्टस की बिक्री को धारा 3(2) के तहत आवेदन पत्रावली पर नहीं होना मानकर घोषित बिक्री 1,27,224/– के स्थान पर रू 3,00,000/– की बिक्री बढ़ाकर, कर निर्धारण किया जाकर कर रूपये 37,500/– ब्याज रूपये 10,125/– व शास्ति रूपये 2500/– कुल मांग रूपये 50,125/– आरोपित की गयी। उक्त मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर पुनः कर निर्धारण के निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष संशोधन आवेदन पेश किया गया। जिसमें यह तथ्य पेश किया गया कि धारा 3(2) के तहत जो आवेदन पत्र पेश करने की रसीद पेश की गई है वह पुरानी फर्म की थी। अतः आदेश को संशोधित करने हेतु कहा गया। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संशोधन आवेदन को भी अपने आदेश दिनांक 23.02.2012 से अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपना तर्क दिया कि प्रथमतः अपीलीय अधिकारी ने वाद को प्रतिप्रेषित करने में भूल की है। साथ ही संशोधन आवेदन को अस्वीकार करने में भी भूल की है। अतः विभाग की अपील स्वीकार की जाने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री राकेश मेहता ने अपनी बहस में बताया कि उनके द्वारा धारा 3(2) ऑफ वैट एक्ट के तहत Composition का विकल्प चुनने का आवेदन किया था। जिसकी रसीद पेश की है। उक्त विकल्प पत्रावली पर नहीं है। परन्तु उनके द्वारा कार्यालय में यह पेश कर दिया गया था। उक्त तथ्य की जांचकर पुनः कर निर्धारण करने हेतु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था। परन्तु विभाग द्वारा उसके विरूद्ध संशोधन आवेदप पेश किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया, एवं यह अपील पेश की है। अतः तथ्यों की जांच किये बिना जो आदेश पारित किया गया था वह अनुचित था, उसकी पुनः जांच आवश्यक है। अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतया उचित था, अतः विभाग की अपील निरस्त की जावें।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह अपील संशोधन आदेश के विरूद्ध पेश की गयी है। जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2011 से प्रतिप्रेषित निर्णय को विवादित किया गया था। यहां मुख्य मुद्दा यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की लूब्रीकेन्टस् की बिक्री पर धारा 3(2) के तहत विमुक्ति शुल्क दर @ 0.50 प्रतिशत से कर लगेगा या पूर्ण कर दर दे। यह इस बात पर निर्भर है कि व्यवहारी द्वारा इस हेतु विकल्प लिया है या नहीं। व्यवहारी द्वारा ऐसे विकल्प लेने के आवेदन की रसीद पेश की है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में यह उपलब्ध नहीं है। अतः इस तथ्य की पुनः जांच हेतु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था जो पूर्णतया उचित आदेश है उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः विभागीय अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि कर निर्धारण अधिकारी समस्त रेकार्ड व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की रसीद की जांच कर तथ्यों के अनुसार पुनः आदेश पारित करें। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. फलतः विभाग की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेशानुसार पुनः निर्देश दिये जाते है कि कर निर्धारण अधिकारी पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर तथ्यों के अनुसार आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

30-1-14

**( अमर सिंह )**
**सदस्य**